

कृषि निदेशालय, बिहार  
(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन)

पत्र संख्या : रा.खा.सु.मि.को.-15/2010- 730 /कृ0, पटना, दिनांक..13..अक्टूबर, 2011।  
प्रेषक

कृष्ण बिहारी,  
प्रभारी पदाधिकारी,  
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कोषांग,  
बिहार, पटना।

सेवा में

जिला कृषि पदाधिकारी,  
पश्चिमी चम्पारण, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया,  
एवं कटिहार

विषय : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन--चावल वर्ष 2011-12 अंतर्गत बोरो गरमा संकर धान  
बीज मिनीकिट प्रभेद KRH-2 के वितरण के संबंध में।

प्रसंग : भारत सरकार, कृषि मंत्रालय का पत्र (CPS) 3-16/2011-NFSM दिनांक  
16.09.2011।

महोशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- चावल वर्ष 2011-12 अन्तर्गत राज्य में बोरो गरमा संकर धान बीज प्रभेद KRH-2 (प्रति पैकेट 6 किलो) की आपूर्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसे समानुपातिक रूप से संबंधित बोरो से आच्छादित जिलों में संलग्न सारणी के अनुसार उपावंटित किया गया है। बीज की आपूर्ति एस0एफ0सी0आई0 द्वारा किया जा रहा है।

संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी जिले के लिये आवंटित मिनीकिट बीज की मात्रा आपूर्तिकर्ता से प्राप्त करेंगे तथा आपूर्तिकर्ता को प्राप्ति रसीद तत्काल देंगे तथा मिनीकिट कार्यक्रम का क्रियान्वयन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वर्ष 2011-12 के कार्यान्वयन अनुदेश के अनुसार करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त निम्नांकित निदेशों का भी ध्यान रखेंगे।

- जिला कृषि पदाधिकारी अपने जिला के लिए आवंटित लक्ष्य को प्रखंडवार/पंचायतवार समानुपातिक रूप से उपावंटित करेंगे तथा इसका ससमय चयनित कृषकों को वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे।
- चयनित कृषकों को ससमय मिनीकिट बीज को उपलब्ध कराया जायेगा तथा सूचनाओं को वितरण पंजी में संधारित करायी जायेगी। बीज वितरण के पश्चात् ससमय सत्यापन प्रतिवेदन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कोषांग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

उ० कृ० रा० सु०, बिहार, पटना  
आगत सं० 18.66  
दिनांक 17/10/11


सुरज कुमार  
12/10/11

- लाभुकों को प्रभेद KRH-2 के बारे में विधिवत दिया जाना अनिवार्य होगा।
- यह प्रभेद 130 से 135 दिनों में तैयार होती है। इसके दाने का आकार मध्यम लम्बा होता है तथा बोरो मौसम एवं लवणीय प्रभावित भूमि के लिए भी अनुशंसित है। यह प्रभेद पत्र लांछन, भुरा मधुवा एवं तना छेदक रोधी है तथा उपज क्षमता 50-55 क्विं/हे० हैं।

इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु दिये गये निदेशों का अनुपालन पूरी दृढ़ता से करना सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन

  
13/10/11  
(कृष्ण बिहारी)


प्रभारी पदाधिकारी,

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कोषांग,  
बिहार, पटना।

दिनांक.....13.....अक्टूबर, 2011।

ज्ञापांक : .....730...../क०, पटना,  
प्रतिलिपि :

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार सरकार को सादर सूचनार्थ।
2. कृषि निदेशक-सह-मिशन निदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ।
3. सभी प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. सभी संबंधित जिला नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. उप कृषि निदेशक (सूचना) बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

  
13/10/11

प्रभारी पदाधिकारी,

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कोषांग,  
बिहार, पटना।

Department of Agriculture, Govt. of Bihar  
(National Food Security Mission)

Districts wise Allocation of Boro/Summer Hybrid Rice Minikits for the Year 2011-2012

Name of Supplying Agency - SFCI Hybrid Rice variety- KRH 2 ( Unit - Number of Kits of 6kg each)					
Sl. No.	Name of Districts	Allocation		Place of Destination	Mobile No. of Concerned DAO
		No. of Minikits	Quantity (Qtl.)		
1	West champaran	200	12.0	Districts Agriculture officer, Betiah	9431818741
2	Darbhanga	110	6.6	Districts Agriculture officer, Darbhanga	9431818745
3	Madhubani	186	11.2	Districts Agriculture officer, Madhubani	9131818746
4	Saharsa	300	18.0	Districts Agriculture officer, Saharsa	9431818757
5	Supaul	100	6.0	Districts Agriculture officer, Supaul	9431818759
6	Madhepura	100	6.0	Districts Agriculture officer, Madhepura	9131818758
7	Kishanganj	300	18.0	Districts Agriculture officer, Kishanganj	9431818756
8	Araria	320	19.2	Districts Agriculture officer, Araria	9431818754
9	Katihar	300	18.0	Districts Agriculture officer, Katihar	9431818755
<b>Total</b>		<b>1916</b>	<b>114.96</b>		

*Q*